न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, दरभंगा ।

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-73/2020-21

बिहार सरकार (अंचल अधिकारी, बहादुरपुर) ........ आवेदक

बनाम

पूनम देवी .......................................विपक्षीगण

अनुसूची 14-फारम संख्या 563

| आदेश की कम संख्या और तारीख<br>1 | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।<br>3 |
|---|---|---|
| 01/08/2021 | (see below) | |

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, बहादुरपुर के पत्रांक-269 दिनांक-09.02.2021 के द्वारा मौजा-बहादुरपुर थाना नं0-236 अंतर्गत जमाबंदी सं0-2238 बनाम पूनम देवी पति-स्व0 राधे ठाकुर साकिन-योगियारा को रद्द करने हेतु भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

विपक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के बावजूद विपक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः एकपक्षीय सुनवाई की गई।

अंचल अधिकारी की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि प्रश्नगत जमाबंदी सं0-2238 सी0एस0 खाता सं0-363, सी0एस0 खेसरा 109 से संबंधित है। उक्त सी0एस0 खेसरा 109 से आर0एस0 सर्वे में कई खेसरा बना जिसमें से यह आर0एस0 खेसरा 34 से संबंधित है।

आर0एस0 सर्वे में खेसरा नं0-34 का खतियानी इंद्राज निम्न प्रकार है :-

| खाता | रैयत | खेसरा | किस्म | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| 347 | अनाबाद बिहार सरकार | 34 | तालाब | 1.86 एकड़ |

सी0एस0 खेसरा 109 से बना आर0एस0 खेसरा 34 खाता 347 अंतर्गत अनाबाद बिहार सरकार किस्म जमीन तालाब दर्ज है जिससे स्पष्ट होता है कि सी0एस0 खेसरा 109 भी सी0एस0 खतियान में तालाब ही था। सी0एस0 नक्शा में भी तालाब का ही स्परूप स्पष्ट होता है।

आगे उनका कथन है कि जमाबंदी सं0-2238 दाखिल खारिज वाद सं0-1494/2016-17 के द्वारा कायम हुआ है जो मूलतः जमाबंदी सं0-1/79 से खारिज होकर कायम हुआ है। इसकी मूल जमाबंदी सं0-5/182 भी संदेहास्पद है तथा इस जमाबंदी में दिनांक 12.01.2006 को प्रथम रसीद निर्गत है। दाखिल खारिज वाद संख्या भी दर्ज नहीं है। इस जमाबंदी पर खाता, खेसरा दर्ज है, पर ये खाता, खेसरा किस आधार पर दर्ज किये गए हैं, स्पष्ट नहीं होता है। अतः लोक भूमि/जल निकाय से संबंधित प्रावधानों को देखते हुए जमाबंदी सं0-2238 को रद्द किया जाय।

सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, दरभंगा के पत्रांक-83 दिनांक-28.07.2021 एवं सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-98-II दिनांक-29.07.2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातों का अवलोकन एवं परिशीलन किया। उपरोक्त से निम्न विन्दु स्पष्ट परिलक्षित होता है :-

1. मौजा-बहादुरपुर थाना नं0-236 अंतर्गत आर0एस0 खेसरा 34 अनाबाद बिहार सरकार किस्म तालाब है।
2. सी0एस0 खेसरा 109 से आर0एस0 खेसरा 34 बना है।
3. सी0एस0 नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि सी0एस0 खेसरा 109 भी सी0एस0 खतियान में तालाब ही था।
4. जमाबंदी सं0-5/182 का सृजन बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश का हुआ है। इसका प्रथम रसीद दिनांक 12.01.2006 को निर्गत है एवं कोई दाखिल खारिज वाद संख्या दर्ज नहीं है। खाता, खेसरा दर्ज होने का भी कोई आधार नहीं है। अतः मूल जमाबंदी सं0-5/182 संदेहास्पद है एवं खारिज होने योग्य है।
5. जब मूल जमाबंदी सं0-5/182 संदेहास्पद एवं बिना किसी प्राधिकार के आदेश का सृजित है, तो उससे सृजित अन्य सभी जमाबंदी स्वतः रद्द होने योग्य है।
6. सरकारी जमीन एवं संबंधित दस्तावेज का रख-रखाव एवं पर्यवेक्षण का दायित्व अंचल अधिकारी का है, लेकिन तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा सरकारी जमीन का रक्षक नहीं, भक्षक बनकर सरकारी जमीन को गलत ढ़ंग से दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गई जो बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 का घोर उल्लंघन है।
7. वर्ष 2016 में पदस्थापित अंचल अधिकारी के द्वारा बिना दस्तावेज की जाँच किये दाखिल खारिज वाद सं0-1494/16-17 के द्वारा अनाबाद बिहार सरकार किस्म तालाब की जमीन की दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गई एवं जमाबंदी सं0-2238 बनाम विपक्ष कायम कर दिया गया जो बिलकुल ही अवैध एवं दाखिल खारिज अधिनियम के प्रतिकुल है।

इस प्रकार दाखिल खारिज वाद सं0-1494/16-17 के निष्पादन में तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 का घोर उल्लंघन किया गया है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के द्वारा दंडनीय उपराध किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दाखिल खारिज वाद सं0-1494/16-17 में पारित आदेश दिनांक-26.08.2016 को अपास्त किया जाता है एवं उसके द्वारा मौजा-बहादुरपुर थाना नं0-236 अंतर्गत सृजित जमाबंदी सं0-2238 बनाम विपक्ष को रद्द किया जाता है। साथ

ही सृजित संदेहास्पद जमाबंदी नं0-5/182 को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। अंचल अधिकारी, बहादुरपुर को निम्न विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाता है :-

1. जमाबंदी सं0-2238 को रद्द करते हुए इसमें सन्निहित खेसरा को अनाबाद बिहार सरकार किस्म तालाब करना सुनिश्चित करें।
2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आनलाईन पोर्टल पर भी सुधार कर दें।
3. सी0एस0 खेसरा 109 से बने आर0एस0 खेसरा 34 पर बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमित की गई भूमि को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें।
4. वर्ष 2016 में पदस्थापित अंचल अधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के माध्यम से समाहर्त्ता, दरभंगा को भेजना सुनिश्चित करें।
5. अभिलेख की जाँच कर वर्ष 2016 में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

मूल अभिलेख वापस करते हुए इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बहादुरपुर को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

**लेखापित एवं संशोधित ।**

Sd/- 01/8/21
**अपर समाहर्त्ता,**
**दरभंगा।**

Sd/- 01/8/21
**अपर समाहर्त्ता,**
**दरभंगा।**

**ज्ञापांक** 386 **/न्या0, लहेरियासराय दिनांक** 06/08/**2021**

**प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, बहादुरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।**
**प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।**

Sd/- 01/8/21
**अपर समाहर्त्ता,**
**दरभंगा।**